न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2012/00150

1. बल्लू आत्मज सुखलाल जाति मीणा (मृतक) कायममुकामान :–
   1/1. कमला बाई बेवा बल्लू ।
   1/2. किशन आत्मज स्व0 बल्लू ।
   1/3. राजू आत्मज स्व0 बल्लू ।
   1/4. तस्वीर पुत्री स्व0 बल्लू ।
   1/5. कौशल्या पुत्री स्व0 बल्लू ।
   1/6. विमला बाई पुत्री स्व0 बल्लू जाति मीणा निवासीगण ग्राम हरीपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री भारत सिंह हाडा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 26.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.08.2012 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट मृतक बल्लू ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम हरिपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में पुराने खसरा नम्बर 332/2 की 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि नियमानुसार वादी के भाई बद्री लाल को दिनांक 23.06.1973 को आवंटन की गई । उक्त भूमि पर आवंटन के बाद वादी के भाई आवंटी बद्रीलाल को दखल दे दिया था और आवंटी द्वारा आवंटन की समस्त राशि जमा करवा दी गई । उक्त भूमि आवंटी के गैर खातेदारी में दर्ज कर दी गई तथा दिनांक 18.07.1983 को खातेदारी की सनद संख्या 78 जारी की गई । वादी के भाई आवंटी की मृत्यु

के पश्चात् वादी उसका भाई होने व वारिस होने से उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि पर वादी के नाम के साथ अन्य भाई रामकरण, बाबूलाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर दर्ज किये गये कुल रकबा 1.57 हैक्टर दर्ज कर दिया है जबकि उक्त भूमि का कुल रकबा 1.86 हैक्टर दर्ज किया जाना चाहिए था । वादी को अधिकार है कि वह उक्त भूमि का स्वयं को खातेदार घोषित करावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नम्बर 322/2 की रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा के नये खसरा नम्बर कुल 05 किता की 1.57 हैक्टर के स्थान पर 1.86 हैक्टर भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम दर्ज की जावे । प्रतिवादी को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि के वादग्रस्त आराजी में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें और उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं अन्यथा खुर्द–बुर्द नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06.08.2012 के द्वारा वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.08.2012 से व्यथित होकर वादी (मृतक) बल्लू के वारिसान अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी के भाई को सन् 1973 में आवंटित हुई थी । उनके भाई आवंटी की मृत्यु होने के उपरान्त उक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त रहा है और वादी की मृत्यु के बाद से अपीलान्टगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं । वादग्रस्त आराजी के सेटलमेंट विभाग ने रकबा 1.57 हैक्टर दर्ज किया है जबकि उक्त भूमि का रकबा 1.86 हैक्टर होते है । इस प्रकार सेटलमेंट विभाग ने उक्त भूमि का रकबा 0.29 हैक्टर कम दर्ज किया गया है जिसे अपीलान्ट दुरूस्त कराने का अधिकारी है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.08.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट ने एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसको आंशिक रूप से स्वीकार त्रुटि की है । आराजी खसरा नम्बर 32/2 की 11 बीघा 12 बिस्वा अपीलान्ट बल्लू के भाई बद्रीलाल को आवंटित हुई थी और आवंटन की राशि जमा करने पर गैर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे । बद्रीलाल की मृत्यु हो जाने पर उक्त आराजी बल्लू और उसके भाई रामकरण और बाबूलाल के खाते में दर्ज हुई लेकिन कब्जा अपीलान्ट के पिता का ही था क्योंकि बद्रीलाल लाऔलाद फौत हुआ था । सेटलमेंट विभाग ने इसे नये नम्बर कायम कर कुल 1.57 हैक्टर कायम किये जो कि 0.29 हैक्टर कम है। जवाबदावा पेश होने के बाद तनकीयात कायम की गई । दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश की गई फिर भी परीक्षण न्यायालय ने खसरा नम्बर 626, 627 और 628 के बाबत् त्रुटिपूर्ण

आदेश पारित किया है । सरसरी तौर पर दावा डिक्री किया गया है । वादी की साक्ष्य के खण्डन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.08.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करते हुए दावा वादी स्वीकार किया है । खसरा नम्बर 626, 627, 628 के बाबत् अपीलान्ट का कोई स्वत्व नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.08.2012 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में वादीगण ने एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर यह कथन किया था कि हरिपुरा में साबिक खसरा नम्बर 332/2 की 11 बीघा 12 बिस्वा आराजी स्थित है जो बद्रीलाल आत्मज सुखलाल को दिनांक 23.06.1973 को आवंटित हुई थी । उनके पक्ष में सनद सन् 1983 की जारी की गई थी । वादी अपने भ्राता का वारिस होने के नाते इस पर काबिज काश्त है । आराजी में वादी के अन्य भाई रामकरण एवं बाबूलाल का नाम भी त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज कर दिया । सेटलमेंट विभाग ने भू–प्रबन्ध कर आराजी का रकबा कम दर्ज कर दिया है । अतः दावा वादी डिक्री किया जावे । दावे का जवाबदावा सरकार की ओर से पेश किया गया । दावे एवं जवाबदावे के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने 09 तनकीयात कायम की थीं ।

10. दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2065–68 नया खाता संख्या 185 जिसमें कुल 05 किता की 1.57 हैक्टर आराजी बल्लू, रामकरण, बाबूलाल पुत्र सुखलाल के खाते में दर्ज है और नामान्तरकरण संख्या 427 का नोट अंकित है जिसके अनुसार बल्लू के स्थान पर उनके वारिसान का नाम दर्ज किया गया है । प्रदर्श– पी–1 आवंटन आदेश की प्रति है । प्रदर्श–पी–2 मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति है । प्रदर्श–पी–3 पटवारी हल्का की रिपोर्ट है । प्रदर्श–पी–4 ए पंचायत के द्वारा जारी वारिस प्रमाण है । प्रदर्श–पी–5ए मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति है । प्रदर्श– पी–6 नकल जमाबन्दी संवत् 2065–68 संलग्न हैं । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदर्श– पी–4ए और प्रदर्श– पी–5ए फोटो प्रतियॉ हैं न कि प्रमाणित प्रतियॉ।

11. बयानात में पीडब्ल्यू–1 के रूप में राजू आत्मज बल्लू का शपथ पत्र, पीडब्ल्यू– 2 के रूप में बाबूलाल आत्मज सुखलाल एंव पीडब्ल्यू–3 के रूप में सत्यनारायण पुत्र रामकरण के शपथ पत्र पेश किये गये हैं । बयानात में जिन गवाहों के शपथ पत्र पेश किये गये हैं उन्होंने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्रों की ताईद नहीं की है ।

12. परीक्षण न्यायालय में वादी बल्लू के द्वारा सरकार के खिलाफ हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है । पत्रावली पर संलग्न राजस्व रिकॉर्ड में बल्लू के अलावा रामकरण, बाबूलाल भी सहखातेदार दर्ज हैं परन्तु उनको पक्षकार नहीं बनाया है जो कि आवश्यक है । परीक्षण न्यायालय में गवाहों के बयानों के रूप में जो शपथ पत्र पेश किये गये हैं उनके गवाहों

ने न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ पत्र की ताईद नहीं की है । दस्तावेजात के प्रदर्श नम्बर भी शपथ पत्र में ही अंकित किये गये हैं । इन तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.08.2012 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अन्य सहखातेदारों को भी पक्षकार बनाया जाकर उनको सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए सीपीसी की पालना में गवाहों को न्यायालय में अपने शपथ पत्र की ताईद के लिए उपस्थित करवाकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 13.09.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 26.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा